समग्र प्रयास से ही सुधरेगी बेटियों की दशा

—जगन्नाथ कश्यप

किसी भी समस्या के निराकरण हेतु हमें उसकी जड़ को पहचानना पड़ता है। आज यदि नवजात बच्ची से लेकर प्रौढ़ महिला तक को दोयम दर्जे का शिकार होना पड़ रहा है तो उसका कारण एक तरफ लोगों की संकीर्ण मानसिकता है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति भी इसकी बराबर की जिम्मेदार है। अत: हमारे प्रयास दोनों ही दिशाओं में एक साथ होने चाहिए। बालिकाओं के विकास व शिक्षा में आने वाली आर्थिक बाधा को दूर करने वाली वैकल्पिक योजनाओं के साथ-साथ जनमानस के अंतर्मन से बालिकाओं व महिलाओं के लिए बनाई गई संकीर्ण अवधारणाओं की समाप्ति भी आवश्यक है। इसलिए हमें 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ' एवं 'सुकन्या समृद्धि योजना' के साथ-साथ पूर्व की 'सशर्त नकद हस्तांतरण' योजनाओं का सरलीकरण कर, इनमें व्याप्त विसंगतियों को दूर कर कार्यान्वित करना होगा। सभी स्तरों पर बेहतर तालमेल व समग्र प्रयास के द्वारा ही देश में बेटियों की दशा सुधर पाएगी।

भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में नारी नारायणी", एवं "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" कहकर नारी को विशेष सम्मान दिया गया है और उसके महत्व को रेखांकित किया गया है। महिलाओं को दिए जाने वाले सम्मान व स्त्रियों के प्रति हमारी संस्कृति की आस्था व समर्पण भाव से हम सभी अवगत है। लेकिन इन आदर्शात्मक बातों से दूर धरातल की सच्चाई कुछ और ही स्थिति को बयां करती है। जन्म लेने के पूर्व से लेकर जन्म लेने, किशोरावस्था, व प्रौढ़ावस्था तक हर कदम पर भिन्न प्रकार की चुनौतियों से दो–चार होती इस देश की महिला आबादी अपने सह–अस्तित्व को लेकर संघर्षरत है। अतः हमें भी चाहिए कि कर्णप्रिय आदर्शात्मक पंक्तियों की दुनिया से बाहर निकल वास्तव में समाज में जो बालिकाओं व महिलाओं की दयनीय स्थिति है, उसे स्वीकार किया जाए तथा इससे मुक्ति पाने के रास्ते तलाशे जाएं।

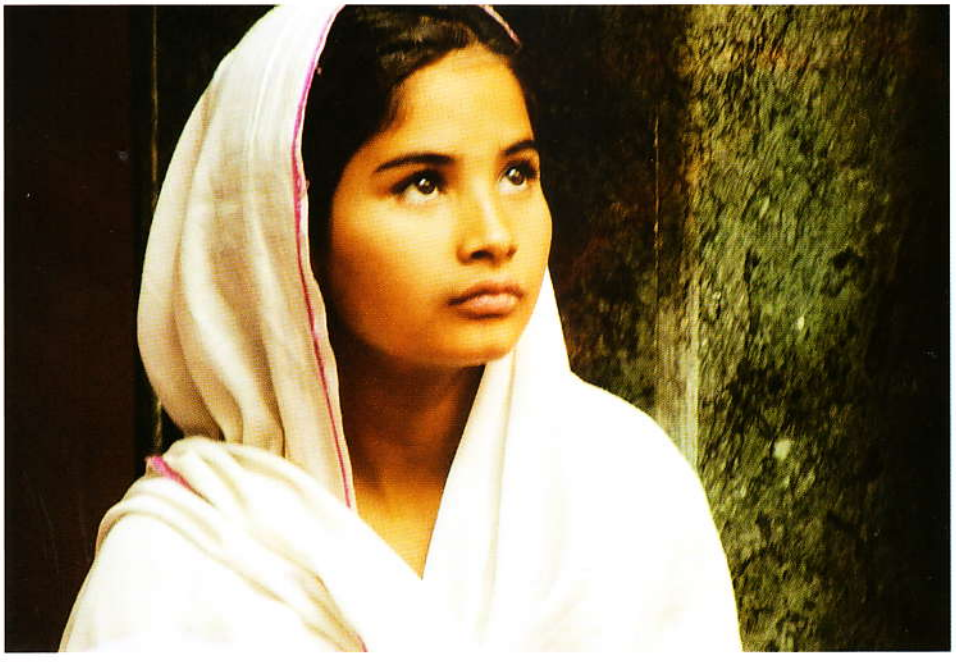

'नारी तू नारायणी' की बात करने वाले इसी भारत देश में 1961 से लेकर अब तक बाल लिंग अनुपात जो 0 से 6 वर्ष की उम्र तक के प्रति एक हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या दर्शाता है, घटता जा रहा हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा 919 पर आ गिरा है। इस प्रकार बालिकाओं के घटते अनुपात दीर्घकाल में हमारे जनसांख्यकीय संरचना के लिए एक खतरनाक स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। हमारे यहां पुरुष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता लगभग 16% कम है (पुरुष साक्षरता–82.14% महिला साक्षरता 65.46%) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) की रिपोर्ट के अनुसार 63.5% लड़कियां बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देती हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) की तीसरी रिपोर्ट के अनुसार 47% किशोरावस्था (15–19 वर्ष की आयु वर्ग) बालिकाएं कम वजन की समस्या अर्थात जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किग्रा से कम है, से ग्रसित हैं। और 56% किशोर बालिकाएं

एनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं। भारत में लिंग भेद की भीषण स्थिति को इसी से समझा जा सकता है कि यू. एन. डी. पी. द्वारा जारी किये जाने वाले मानव विकास सूचकांक 2014 में भारत 188 देशों में 130वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार यदि इसमें से पुरुषों को बाहर कर सिर्फ महिलाओं को रखा जाए तो भारत 151वें स्थान पर होता। उपरोक्त चंद आंकड़े यह दर्शाने के लिए काफी हैं कि जो देश तीव्र विकास करने व दहाई अंक की विकास दर को प्राप्त करने की नीतियां बनाने में व्यस्त हैं वहां की आधी आबादी किस प्रकार विकास से महरुम है।

कहते हैं कि किसी भी समस्या के निराकरण हेतु हमें उसकी जड़ को पहचानना पड़ता है। आज यदि नवजात बच्ची से लेकर प्रौढ़ महिला तक को दोयम दर्जे का शिकार होना पड़ रहा है तो उसका कारण एक तरफ लोगों की संकीर्ण मानसिकता है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति भी इसकी बराबर की जिम्मेदार है। आज यदि किसी गरीब या फिर निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की बात करें तो वह सदैव अपने सीमित आर्थिक संसाधनों के प्रयोग के लिए वरीयता अपने पुत्र को देगा, चाहे प्रश्न उसकी शिक्षा का हो या अन्य आवश्यकताओं का। बेटी को बोझ व पराया धन जैसे शब्दों से आज भी नवाजा जाता है, और जन्म के साथ ही परिवार खुद को बोझिल महसूस करने लगता है। यही कारण है कि समाज का एक बड़ा धड़ा तो तकनीकी का दुरुपयोग कर लिंग जानने और फिर कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य कुकृत्य को अंजाम देने में भी नहीं हिचकता। अतः हमारे प्रयास दो दिशाओं में एक साथ होने चाहिए–

- बालिकाओं के विकास व शिक्षा में आने वाली आर्थिक बाधा को दूर करने वाली वैकल्पिक योजनाएं
- लोगों के अंतर्मन से बालिकाओं व महिलाओं के लिए बनाई गई संकीर्ण अवधारणा की समाप्ति

हालांकि हमारी सरकारों द्वारा उपरोक्त दोनों हीं दिशाओं में कई प्रकार की योजनायें चलाई जाती रही हैं, केन्द्र व राज्य सरकारों की योजनाओं को मिलाकर देखा जाए तो अच्छी–खासी संख्या बन जाती है। परंतु ये सभी वांछित परिणाम क्यों नहीं दे पाए, इसका विश्लेषण भी हम आगे करने का प्रयास करेंगे। अब यदि वर्तमान केन्द्र सरकार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री श्री मोदी की नेतृत्व वाली इस सरकार ने भी समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए एक नई योजना "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" को प्रारंभ किया है। बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पक्षपाती लिंग चुनाव का उन्मूलन एवं बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। प्रथम चरण में इस योजना को निम्न बाल लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है। तथा इनके चयन के तीन मानदंड हैं :–

- राष्ट्रीय औसत से कम बाल लिंग अनुपात वाले ऐसे 87 जिलों का चयन जोकि 23 अलग–अलग राज्यों से होंगे।
- आठ राज्यों से आठ जिलों का चयन जहां अनुपात तो राष्ट्रीय औसत के समान है परंतु बराबर गिरावट का रुख है।

- पांच राज्यों से पांच जिलों का चयन जहां बाल लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक भी हो और जिन्होंने या तो अपने लिंगानुपात के स्तर को बनाए रखा अथवा उसमें बढ़ोतरी दर्ज की। इन जिलों के चयन का कारण यह है कि इनसे सीख लेकर बाकि जगहों पर इसे दोहराया जा सके।

निःसंदेह इस प्रकार के चयन की प्रक्रिया तार्किक व वैज्ञानिक लगती है। वहीं दूसरी तरफ यह योजना 'नकद हस्तांतरण' योजनाओं से अलग जन–जागरुकता अभियान के द्वारा बेटियों के संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सामाजिक आंदोलन का रूप देने की दिशा में प्रयासरत दिखती है। हालांकि इस योजना की क्या सीमाएं व चुनौतियां होंगी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे।

क्या वित्तीय संसाधन बाधा बन सकते हैं इस नयी मुहिम में

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के लिए वर्तमान वर्ष में 100 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। योजना के वृहद स्तर और प्रारूप को देखते हुए यह यक्ष प्रश्न है कि क्या यह राशि पर्याप्त होगी इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु। हमने पूर्व में भी देखा है अच्छी योजनाएं भी वित्तीय अभाव में बंद करनी पड़ती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण राजस्थान सरकार की 'राजलक्ष्मी' योजना है। अनुमानतः राजस्थान बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए 'सशर्त नकद हस्तांतरण योजना' लाने वाला पहला राज्य था जिसने 1992 में 'राजलक्ष्मी' योजना प्रारंभ की भी, जिसे 1996 में पुनः कुछ नियमों को उदार कर प्रस्तुत किया गया था। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) के तालमेल से तैयार किया गया था जिसमें पांच वर्ष से कम आयु की बच्ची के नाम राजस्थान सरकार द्वारा 1500 रुपये जमा किये जाते थे जो 21 वर्ष की लॉक–इन–अवधि के पश्चात 21000 रुपये के रूप में मिलते थे। यह योजना अच्छा कर रही थी और हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने इसी योजना का अनुसरण कर अपने यहां भी इस प्रकार की योजनाएं बनाईं। ''राजलक्ष्मी योजना'' में लाभार्थियों की संख्या वर्ष 1992–93 में 4917 से बढ़कर वर्ष 1997–98 में 11664 तक पहुंची थी, जो इसके शनैः शनैः सफल भी होने का संकेत देती है, परंतु बीच में ही वर्ष 2000 में वित्तीय संसाधन के अभाव में सरकार को इस योजना को बंद करना पड़ा था।

अतः इससे सीख लेते हुए हमारी सरकारों को किसी भी कल्याणकारी योजना को प्रारंभ करने से पहले आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए।

इस बार के बजट को देखा जाए तो सरकार की कथनी एवं करनी में विरोधाभास दिखता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटित राशि में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% की कटौती दिखती है। जहां वर्ष 2014–15 के बजट में नियोजित परिव्यय हेतु प्रस्तावित राशि 21100 करोड़ थी वहीं वर्ष 2015–16 के बजट में नियोजित परिव्यय की राशि घटाकर 10286.73 करोड़ कर दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा ''समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) पर गया हैं यह राशि' 8477.77 करोड़ रुपये है। यह योजना एक अत्यंत ही वृहद योजना है जिसके अंतर्गत लगभग 7076 परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं। लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0–6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषक तत्त्व, बीमारियों से प्रतिरक्षा हेतु टीका इत्यादि के साथ–साथ नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त 0–6 वर्ष तक के बच्चों एवं बच्चियों को स्कूल–पूर्व की शिक्षा भी यहां से उपलब्ध कराई जाती है। इतने वृहद स्तर की परियोजना की राशि भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आधी कर दी गई है, वहीं किशोरी बालिकाओं से संबंधित योजना जिसे ''सबला'' के नाम से भी जाना जाता है, के लिए महज 75.50 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। 11–18 वर्ष की किशोरावस्था बालिकाओं के विकास से संबंधित इस योजना को वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। यह वर्तमान में 205 जिलों में कार्यान्वित हो रही है। इस योजना के दो घटक हैं– पहला–पोषक तत्त्व व भोजन की उपलब्धता तथा दूसरा–स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, परिवार कल्याण, सेक्युअल हेल्थ संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन एवं परामर्श सहित व्यावसायिक शिक्षा आदि का प्रबंध। अगर उपरोक्त बिंदुओं को देखा जाए तो 'सबला' एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना मालूम पड़ती है परंतु इसमें भी वित्तीय कटौती किया जाना यह सोचने पर विवश करता है कि कहीं यह कदम इस योजना के लक्ष्य को साधने में बाधा न बन जाए। इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में हो रही वित्तीय कटौती का कारण केन्द्र सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को मानते हुए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% कर देना हो सकता है, जिसके बाद केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण कर रही है तथा कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों को मुख्य भूमिका में आने की अपेक्षा कर रही है। खैर, यह कदम व सोच किस हद तक सफल होंगे यह तो भविष्य के गर्भ में है।

सशर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं की स्थिति

हमने प्रारंभ में भी जिक्र किया था कि विभिन्न सरकारों द्वारा बालिकाओं के संरक्षण व विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नकद हस्तांतरण योजनाएं भी चलाई जाती रही हैं। वर्ष 2008 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ''धनलक्ष्मी'' योजना को सात राज्यों के ग्यारह प्रखंडों में प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 19 नवम्बर, 2008 के बाद जन्म लेने वाली

बालिका के लिए बीमा योजना की व्यवस्था थी तथा 18 वर्ष तक युवती के अविवाहित रहने पर, बीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात एक लाख रुपये मिलते। इसके साथ ही बालिका के परिवार को और कई बिंदुओं की पूर्ति पर भी नकद हस्तांतरण का प्रावधान था। जैसे जन्म के समय पंजीकरण के पश्चात 5000 रुपये, फिर टीकाकरण के समय, प्राथमिक विद्यालय में दाखिले के समय, आठवीं तक स्कूली शिक्षा पूरी करने तक इत्यादि। हालांकि लक्ष्य को प्राप्त करने एवं आवंटित किये गए फंड के प्रयोग के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो यह योजना सफल साबित नहीं हुई। वर्ष 2008–09 के लिए लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का लक्ष्य एक लाख था जबकि महज 79555 बालिकाएं ही पंजीकृत हुईं एवं आवंटित 10 करोड़ में से 5.95 करोड़ खर्च हो पाए। दूसरे वर्ष के लिए भी स्थिति असंतोषजनक ही रही।

इसी से मिलती–जुलती मध्य प्रदेश सरकार की योजना है 'लाडली लक्ष्मी योजना' जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में प्रारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत राज्य सरकार एक बच्ची के जन्म पर 6000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करती है। इससे मिलने वाली राशि बालिका के कक्षा छठी, नौवीं व ग्यारहवीं के शुल्क हेतु प्रयोग में आती है, तथा बची हुई राशि 21 वर्ष की आयु पर बालिका को मिल जाती है। इस प्रकार इससे शिक्षा व वित्तीय सुरक्षा दोनों लक्ष्य पूर्ण होते हैं। यह योजना काफी जनप्रिय हुई तथा अन्य कई राज्यों ने इसका अनुसरण भी किया। हां, कुछेक भ्रष्टाचार की समस्या तथा प्रक्रियात्मक जटिलता की शिकायतें जरूर आईं इसके संदर्भ में।

उपरोक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों से वांछित लाभ लेने के लिए हमें इनकी विसंगतियों को दुरुस्त करना होगा।

क्या है इनमें चुनौतियां

योजना आयोग के लिए तैयार की गई टी. वी. शेखर की समीक्षात्मक रिपोर्ट में देशभर में बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे विशेष वित्तीय सहयोग संबंधी 15 योजनाओं का विस्तार से अध्ययन कर उनमें आने वाली चुनौतियां तथा विसंगतियां जिनकी वजह से हम इन योजनाओं से आशा अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर पा रहे, को चिन्हित किया गया है जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं :–

- योजना की शर्तें – योजना की अनेक प्रकार की शर्तें तथा जटिल प्रक्रिया जैसे जन्म के साथ हीं पंजीकरण, इसके अलावा ज्यादातर योजनाओं के लिए एक या दो बालिका संतान का ही होना जनता में ऐसे कार्यक्रमों की जटिलता बढ़ाता है। इन योजनाओं का एक बड़ा नकारात्मक पक्ष यह रहा कि इन्हें परिवार नियोजन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कई योजनाओं में दंपत्ति के द्वारा नसबंदी या बंध्याकरण की शर्त ने भी योजना में नकारात्मक योगदान किया। कई योजनाओं में केवल बालिका संतान की आवश्यकता ने भी योजना की स्वीकार्यता को घटाया। अतः बालिका उत्थान से संबंधित योजना को परिवार नियोजन से जोड़ना गलत प्रयास था।
- ज्यादातर योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों तक ही सीमित रहीं। योजनाओं में बीपीएल परिवारों को ही भागीदारी देना भी सही कदम नहीं रहा क्योंकि यह समस्या केवल गरीब या गांव तक ही सीमित नहीं है।
- तालमेल का अभाव – योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय व तालमेल का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन वृहद तंत्र के द्वारा होता है जिसमें लाखों आंगनबाड़ी शामिल होते हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच तालमेल, विभिन्न मंत्रालयों जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास इन सभी के बीच भी समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों जैसे एल. आई. सी, बैंक इत्यादि से भी तालमेल की आवश्यकता होती है। इन सबके बिना योजनाओं का सफल संचालन नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं' योजना में भी सबसे बड़ी चुनौती तालमेल को लेकर ही आ सकती है।
- अवसंरचना का अभाव – टी. वी. शेखर की रिपोर्ट यह भी मानती है कि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए अत्यंत कम राशि खर्च की जाती है तथा ज्यादातर योजनाएं आईसीडीएस के तंत्र का प्रयोग करती हैं जिससे इस पर दबाव बढ़ता है तथा ज्यादातर संदर्भों में पंचायतों, क्षेत्रीय एन. जी. ओ. एवं महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों की अत्यंत सीमित भूमिका होती है जबकि इन सबकी विस्तृत व प्रबल भूमिका होनी चाहिए।

अतः अब यह स्पष्ट है कि 'नकद हस्तांतरण' से संबंधित ये योजनाएं अधिक प्रभावशाली हो सकती हैं बशर्ते इनका सरलीकरण कर, इनमें व्याप्त विसंगतियों को दूर कर इनको कार्यान्वित किया जाए।

इन योजनाओं का हमारी अर्थव्यवस्था पर एक अन्य सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए भिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत–पत्रों, या बॉण्ड इत्यादि में निवेश करने से वित्तीय बाजार में पूंजी का अंतर प्रवाह होता है, जिससे वित्तीय संस्थानों की ऋण देने की क्षमता में वित्तीय बाजार में वृद्धि हो सकती है और इसके गुणक प्रभाव स्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ जाएगा जिसका आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

महिला सशक्तीकरण के कानून और कार्यक्रम

महिला सशक्तीकरण हेतु संसद द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए समय–समय पर कानूनों का प्रावधान किया गया है जिसमें समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986, सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987, प्रसव–पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, अनैतिक व्यापार निरोधक 1959 (1986 में संशोधन), घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आदि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए।

केन्द्र सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को भी चलाया गया है, जिसमें समेकित बाल विकास योजना 1975, स्वावलम्बन योजना 1982, महिला समाख्या योजना 1989, पुर्नउत्पादित एवं बाल स्वास्थ्य योजना 1997, बालिका समृद्धि योजना 1997, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विश्रामगृह योजना 1999, किशोरी शक्ति योजना 2000, श्री शक्ति पुरस्कार योजना 2000, स्वधार योजना 2001, सर्व शिक्षा अभियान योजना 2001, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 2003, कस्तूरबा गाधी विशेष बालिका विद्यालय योजना 2004, उज्जवला योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005, बालिका प्रोत्साहन योजना 2006, जननी सुरक्षा योजना 2006, इंदिरा गांधी इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना 2006, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना 2007, प्रियदर्शनी परियोजना 2008, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008, समेकित बाल संरक्षण योजना 2009, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010, सबला योजना 2012, कार्यरत महिला हॉस्टल योजना 2013, स्वयंसिद्धा योजना 2013 सम्मिलित हैं।

समाज के हर तबके को है जोड़ने की आवश्यकता

पुनः यदि मूल मुद्दे पर आएं तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि बेटियों को लेकर उदासीनता महज आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों में ही सीमित है, बल्कि निम्न मध्यमवर्गीय या मध्यमवर्गीय परिवार, जो भले ही आर्थिक रूप से ठीक हों, पर मानसिक अवधारणा यहां भी बेटियों को बोझ मानने की ही है।

अतः समाज के हर तबके को समान रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और ऐसे वर्ग के लिए सरकार द्वारा लाई गई 'सुकन्या समृद्धि योजना' अत्यंत कारगर हो सकती है। इस योजना के तहत वर्तमान में सर्वाधिक 9.2% ब्याज दर का प्रावधान है, तथा इनमें निवेश का लाभ आयकर में धारा 80सी के तहत छूट के रूप में भी मिलेगा। इस योजना के तहत 10 वर्ष की उम्र तक की बच्ची का खाता खोला जा सकता है। यह खाता मात्र 1000 रुपये से खोला जा सकता है, तथा प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये व अधिकतम 1,50,000 रुपये तक इस खाते में जमा किए जा सकते हैं। इसमें खाता खोलने से अगले 14 वर्ष तक प्रतिवर्ष राशि जमा करनी है। तथा खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद यह परिपक्व होगा। हालांकि इससे पूर्व भी बालिका के 18 वर्ष पूरे हो जाने की स्थिति में उसकी शिक्षा या विवाह हेतु 50 प्रतिशत तक राशि निकाली जा सकती है। तथा विवाह हो जाने की स्थिति में खाते को बंद करना होगा।

इस योजना के दो महत्वपूर्ण आकर्षक पहलू हैं – पहला, इस पर वर्तमान में मिलने वाली सर्वाधिक ब्याज दर तथा दूसरा इसमें निवेश से मिलने वाली छूट। इस योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि 80सी के तहत टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होगी (अधिकतम सीमा 1,50,000 तक) तथा इसमें मिलने वाले ब्याज व योजना के परिपक्व होने पर मिलने वाली राशि पर भी आयकर से छूट प्राप्त होगी। उपरोक्त दोनों हीं बिंदु सामान्य परिवारों को इस योजना में अपनी छोटी–मोटी बचत का निवेश करने को उत्प्रेरित करेंगी। तथा इससे उनके मन में बेटियों को लेकर जो तनाव व असुरक्षा का भाव रहता है, वो भी दूर होगा। हालांकि इस योजना के कुछ और बिंदुओं पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यह और आकर्षक हो सकती है। जैसे इसकी परिपवक्ता अवधि (खाता खुलने से 21 वर्ष तक) काफी अधिक है, अन्य योजनाओं की तरह यह भी दो पुत्रियों तक ही सीमित है (तीन, यदि दूसरी बेटी के जन्म के समय जुड़वां बच्चियां हुईं), **अभी तो इसका ब्याज दर बाजार में अधिकतम है, परंतु भविष्य में इसको लेकर निश्चिंतता नहीं है। बेहतर होता यदि कोई न कोई न्यूनतम ब्याज दर भी तय कर दी जाती तो लोगों के मन में निश्चिंतता का भाव रहता।** खैर, ये सुधार आगे भी हो सकते हैं परंतु कुल मिलाकर यह एक अभिनव प्रयास है जिससे सकारात्मक प्रभाव की पूरी अपेक्षा है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में पहल के साथ ही जन–जागरण भी किया जाए तो निश्चित ही इस राष्ट्र में बेटियों की दशा सुधरेगी।

(लेखक सामाजिक–आर्थिक और सामाजिक–राजनीतिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं तथा दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे की संपादक टीम में भी शामिल हैं।)
ई–मेलः jagannath.kashyap@gmail.com